अधिसूचना दिनांक 26.2.2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2010

क्रमांकः 408/म.प्र.विनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 7 सितम्बर, 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण–1), 2009 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है :–

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** : 1.1 **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 (प्रथम संशोधन) {एआरजी–31(1)(i), वर्ष 2010}''** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबधी अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. **परिशिष्ट 1 के खण्ड XV में संशोधन –**

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009'' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

XV अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु पंजीकरण शुल्क :

नवीन अति उच्च दाब/उच्च–दाब/निम्न दाब उपभोक्ता तथा वह अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ता जो अपने प्रदाय बिन्दु को परिवर्तित किया जाना तथा/अथवा संविदा

मांग/संयोजित भार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता है, से निम्न दर्शायेनुसार पंजीकरण शुल्क, आवेदन पत्र के साथ वसूली योग्य होगी । पंजीकरण शुल्क को अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने पर, आवेदन पत्र की कीमत को घटाकर, समायोजित किया जाएगा । परन्तु ऐसे जमा किये गये शुल्क की राशि को राजसात कर लिया जाएगा यदि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय का लाभ, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा स्वीकृत भार की दिनांक से 180 दिवस के अन्दर अथवा भार स्वीकृति की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नहीं प्राप्त करता, जो भी लागू हो, अथवा भार स्वीकृति के उपरान्त अनुरोध को निरस्त कर देता है ।

सरल क्रमांक	**उपभोक्ता श्रेणी**	**(रूपये प्रति आवेदन)**
1.	निम्न दाब उपभोक्ता	
	(अ) गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं ।	30
	(ब) अन्य एकल फेज निम्न दाब घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता	250
	(स) शेष निम्न दाब उपभोक्ता	1500
2.	अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	10,000

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव